प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक (नोडल अधिकारी), उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
   जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्रांकः–17फ/नि0नि0ब0/कैम्प/2019/117-119 लखनऊः दिनांक 06.02.2019

विषय : उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 से आच्छादित समस्त सेवाओं से सम्बन्धित लम्बित समस्त आवेदन पत्रों का शत–प्रतिशत निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं0–3987/सेक–2–पांच–18–7(50)/2018, दिनांक 25.01.2018 (दिनांक 25.01.2019) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिथिल प्रगति एवं शासन के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के उपरान्त भी अत्यन्त खराब प्रगति पर आपत्ति व्यक्त करते हुए एक सप्ताह में सभी ऐसे प्रकरण जो समय सीमा के उपरान्त लम्बित है उनका नियमानुसार निस्तारण कर अवगत कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 से आच्छादित समस्त सेवाओं से सम्बन्धित लम्बित समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण अपने स्तर से आज ही शत–प्रतिशत सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की सूचना/आख्या तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। प्रशनगत प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी के लम्बित आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों से आच्छादित है। शीर्ष प्राथमिक्ता प्रदान करें।

जनहित अधिनियम में प्राविधानित नियम–4,6 व 16 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

महनिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

पत्रांक–17फ/नि0नि0ब0/कैम्प/2019/ तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 नीरज शुक्ला, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. श्री पी0 लाल, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–2

निदेशक (नियोजन एवं बजट)

Anshu. gen let 3

उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 के अधीन

अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी का नाम एवं कार्यालय का पता ....

1. आवेदक का नाम एवं पता ....

....

....

2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में ....
आवेदन प्राप्ति का दिनांक

3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है ....

4. उन दस्तावेजों का विवरण जो ....
सेवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है ....
किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं ....
किये गये हैं

5. निश्चित की गई समय–सीमा का अंतिम दिनांक ....

स्थान .... प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक .... नाम एवं पदनाम (सील सहित)

नोट– आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु–5 में उल्लिखित अंतिम दिनांक नहीं दिया जायेगा ।

572 RPH Niyamawali Rajswa-11-data-6

प्रारूप 2

(नियम 6 देखिये)

सूचना पट्ट का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय ....

क्रम संख्या	अधिसूचित सेवा	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	सेवाएं प्रदान करने के लिए नियत की गई समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम एवं पता	प्रथम अपील के निराकरण के लिए निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7

1. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम ....
....

2. पदाभिहित अधिकारी के विनिश्चय से प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा – 30 दिवस के भीतर

3. प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय से द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा – 60 दिवस के भीतर

कृपया अपने आवेदन की अभिस्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें ।

प्रारूप 3

(नियम 16 देखिये)

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में पोषित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम ....

माह .... वर्ष ....

क्रम संख्या	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है	नियत की गई समय–सीमा का अंतिम दिनांक	आवेदन स्वीकृत / निरस्त	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण
1	2	3	4	5	6

(नियम 15 देखिये)

प्रथम अपील अधिकारी के कार्यालय में अनुरक्षित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

प्रथम अपील अधिकारी के कार्यालय का नाम ....

क्रम संख्या	अपीलार्थी का नाम एवं पता	प्रथम अपील प्रस्तुत करने का दिनांक	उस पदाभिहित अधिकारी का पदनाम (कार्यालय के नाम सहित) जिसके विनिश्चय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है	नियत की गई समय–सीमा का अंतिम दिनांक	अपील में पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण
1	2	3	4	5	6

प्रारूप 5

(नियम 16 देखिये)

द्वितीय अपील अधिकारी के कार्यालय में अनुरक्षित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

द्वितीय अपील अधिकारी के कार्यालय का नाम ....

क्रम संख्या	अपीलार्थी का नाम एवं पता	द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का दिनांक	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (कार्यालय के नाम सहित) जिसके विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है	द्वितीय अपील के निस्तारण का विवरण क. अस्वीकृत...... ख. शास्ति ...... ग. विभागीय जांच अनुशंसा...... घ. प्रतिकर का भुगतान	शास्ति की वसूली का दिनांक	प्रतिकर की राशि के भुगतान का दिनांक	विभागीय जांच की अनुशंसा के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई	पुनरीक्षित आदेश का विवरण.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

573 RPH Niyamawali Rajswa-11-data-6

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक (नोडल अधिकारी), उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
   जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्रांकः–17फ/नि0नि0ब0/कैम्प/2019/ लखनऊः दिनांक 06.02.2019

विषय : उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 से आच्छादित समस्त सेवाओं से सम्बन्धित लम्बित समस्त आवेदन पत्रों का शत–प्रतिशत निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं0–3987/सेक–2–पांच–18–7(50)/2018, दिनांक 25.01.2018 (दिनांक 25.01.2019) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिथिल प्रगति एवं शासन के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के उपरान्त भी अत्यन्त खराब प्रगति पर आपत्ति व्यक्त करते हुए एक सप्ताह में सभी ऐसे प्रकरण जो समय सीमा के उपरान्त लम्बित है उनका नियमानुसार निस्तारण कर अवगत कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 से आच्छादित समस्त सेवाओं से सम्बन्धित लम्बित समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण अपने स्तर से आज ही शत–प्रतिशत सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की सूचना/आख्या तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। प्रशनगत प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी के लम्बित आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों से आच्छादित है। शीर्ष प्राथमिक्ता प्रदान करें।

जनहित अधिनियम में प्राविधानित नियम–4,6 व 16 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

महनिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

पत्रांक–17फ/नि0नि0ब0/कैम्प/2019/ १२०-१२१ तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 नीरज शुक्ला, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. श्री पी0 लाल, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–2

निदेशक (नियोजन एवं बजट)

Anshu. gen let 3

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक (नोडल अधिकारी), उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
   जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्रांकः—17फ/नि0नि0ब0/कैम्प/2019/ लखनऊः दिनांक 06.02.2019

विषय : उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 से आच्छादित समस्त सेवाओं से सम्बन्धित लम्बित समस्त आवेदन पत्रों का शत—प्रतिशत निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं0—3987/सेक—2—पांच—18—7(50)/2018, दिनांक 25.01.2018 (दिनांक 25.01.2019) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिथिल प्रगति एवं शासन के द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों के उपरान्त भी अत्यन्त खराब प्रगति पर आपत्ति व्यक्त करते हुए एक सप्ताह में सभी ऐसे प्रकरण जो समय सीमा के उपरान्त लम्बित है उनका नियमानुसार निस्तारण कर अवगत कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 से आच्छादित समस्त सेवाओं से सम्बन्धित लम्बित समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण अपने स्तर से आज ही शत—प्रतिशत सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की सूचना/आख्या तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। प्रशनगत प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी के लम्बित आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों से आच्छादित है। शीर्ष प्राथमिक्ता प्रदान करें।

जनहित अधिनियम में प्राविधानित नियम—4,6 व 16 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

महनिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

पत्रांक—17फ/नि0नि0ब0/कैम्प/2019/120-121 तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. डा0 नीरज शुक्ला, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. श्री पी0 लाल, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग—2

निदेशक (नियोजन एवं बजट)

Anshu. gen let 3